फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

रूपाराम व अन्य बनाम वीरमाराम आदि

किस्म मुकदमा अपील/आर.टी.एक्ट /225/154/ 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

महोदय,

निवेदन है कि उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद/प्रार्थना पत्र संख्या 9/2019 अनवान भाखाराम बनाम वीरमाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री/आदेश दिनांक 22.07.24 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है।

- उक्त अपील अंदर म्याद प्रस्तुत है।
- अपील म्याद बाहर है तथा म्याद को कंडोन किये जाने हेतु धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।
- अपील के साथ रेस्पोडेंट्स के सम्मन निर्धारित कोर्ट फीस के साथ प्रस्तुत किये है।
- अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत हुआ है।
- केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ/नहीं हुआ है। संलग्न

आदेशार्थ प्रस्तुत है।

पीठासीन अधिकारी महोदय   रीडर

24 जुलाई 2024

पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अपीलांट्स के अधिवक्ता श्री करणसिंह उपस्थित। केवियेटर/रेस्पो. संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति उपस्थित। अपील नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र बाबत उपस्थित अधिवक्तागण को सुना गया। बहस के दौरान अधिवक्ता-अपीलाण्ट एवं अधिवक्ता-रेस्पो. के मध्य इस बाबत सहमति बनी कि दोनों पक्ष उपस्थित है, अतः स्थगन प्रार्थनापत्र बाबत कोई आदेश पारित किये जाने की बजाय मूल अपील का निस्तारण कर दिया जावे। अतः वकुलाय फरीकेन की सहमति के आधार पर विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किये बिना ही मूल अपील बाबत बहस समायत की गयी।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपनी बहस में बताया कि मौजा खेजडानाडा स्थित आराजी खसरा संख्या 336 रकबा 59 बीघा 06 बिस्वा, ग्राम जानादेसर स्थित आराजी खसरा संख्या 367 रकबा 30 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख

369 रकबा 33 बीघा 07 बिस्वा व खसरा संख्या 368 रकबा 10 बिस्वा बाबत मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2019 को आदेश पारित किया गया था, जो पेशी दर पेशी दिनांक 16 जुलाई 2024 तक प्रभाव में था, और विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन की ओर से अधिवक्ता श्री भंवरलाल चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया जा चुका था। मगर दिनांक 22 जुलाई 2024 को विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति द्वारा अण्डरटेंकिंग देते हुए धारा 151 सीपीसी के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश किया जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 जुलाई 2024 पारित किया गया और आदेश दिनांक 12 फरवरी 2019 बिना किसी ठोस आधार के निरस्त कर दिया गया। जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है।

अधिवक्ता-केवियेटर्स (रेस्पो. संख्या 1 से 3) ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 25 मार्च 1997 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में म्युटेशन की कार्यवाही रोका जाना उचित नहीं मानते हुए ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित एवं विधिम्मतः होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

बहस पर मनन करने एवं अपील पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलाधीन आदेश निषेधाज्ञा द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र बाबत उभयपक्षकारान की निर्णायक बहस समायत की जाकर पारित नहीं किया गया है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश में जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 25 मार्च 1997 का उल्लेख किया गया है मगर उक्त आदेश की समुचित विवरण अर्थात आदेश कमांक आदि स्पष्ट नहीं किये गये है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश का भी कोई विवरण यथा प्रकरण संख्या, अनवान, आदेश की दिनांक आदि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

इन परिस्थितियों व तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्षकारान की निर्णायक बहस समायत की जाकर मूल स्थगन प्रार्थनापत्र का दिनांक 30 जुलाई 2024 तक निस्तारण किया जावे। तब तक अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 जुलाई 2024 की पालना एवं प्रभाव स्थगित

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रहेंगे। इसी अनुसार आलौच्य अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति विचारण न्यायालय को भिजवायी जावे। अपील फैसलशुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर